

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 4(29) ग्रावि/गुप-3/नरेगा/निरी./सम. राज./09-10  
जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
समस्त राजस्थान।

जयपुर, दिनांक

15 DEC 2009

विषय :- राष्ट्रीय स्तरीय पर्यवेक्षक की नरेगा कार्यों के निरीक्षण के संदर्भ में।  
संदर्भ :- संयुक्त सचिव, ग्रा. वि मंत्रालय नई दिल्ली में पत्र दिनांक 2.12.09 के  
क्रम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने अ.शा. पत्र द्वारा अवगत कराया है कि राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर द्वारा राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के निरीक्षण/प्रमाणीकरण में पाया है कि सक्षम अधिकारियों द्वारा नरेगा योजना के विभिन्न रिकार्डों पर किये गये हस्ताक्षरों के नीचे स्वयं का नाम, पदनाम व दिनांक का अंकन नहीं किया जाता है जो कि एक गंभीर अनियमितता है क्योंकि इसके अभाव में जाँच के समय कर्मचारियों की पहचान के अभाव में जवाबदेही एवं जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा श्रमिकों के जॉब कार्ड में किये गये इन्द्राज एवं रजिस्टर संख्या 7 (ग्रामवार रोजगार रजिस्टर) के इन्द्राजों का आपस में मेल नहीं हो रहा है एवं जॉब कार्ड में भुगतान की गई राशि के अगले कॉलम में सचिव द्वारा उस दिनांक सहित हस्ताक्षर अंकित नहीं किये जा रहे हैं, जिस दिन राशि श्रमिक के खाते में जमा कराई जाती है।

अतः जिले में इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था कर, विभाग को अवगत कराने का श्रम करें।


~~संलग्नी - उपरोक्तानुसार~~

भवदीय,

  
(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
परियोजना निदेशक, ईजीएस